

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/730-2001-वि० I (1) दिनांक चण्डीगढ़ 6-11-2001

आर्यवत हर्ब स्कूल आदमपुर खाडी (मिवानी)

को दसवीं स्तर तक की स्थाई मान्यता दिनांक 1.4.2001 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेगे और ग्रांट इत्यादि की मांग नहीं करेगे ।
2. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा ।
3. विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा 159 तथा 214 से 349 तक की सभी शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा ।
4. विद्यालय हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 की धारा-4 की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा तथा इसके जो नियम बनेगे उनकी विद्यालय पालना करेगा
5. अध्यापकों को वेतन कास बैंक द्वारा दिया जाये ।
6. नियुक्ति में आरक्षण नीति का ध्यान रखेगा ।
7. विद्यालय शेष 84,894/- रूपर प्लैज राशि के रूप में एक मास के अन्दर-अन्दर जमा करवाएगा ।

एच० सी० शर्मा,
सयुक्त निदेशक (विद्यालय)
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक चण्डीगढ़ 6-11-2001

इसकी एक प्रति निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी मिवानी को उनके क्रमांक इस-ओ-
200/1096 दिनांक _____ के सन्दर्भ में ।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मिवानी ।
3. मुख्याध्यापक आर्यवत हर्ब स्कूल आदमपुर खाडी (मिवानी)

सहायक निदेशक विद्यालय -1
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा
चण्डीगढ़